भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1375

30 जुलाई, 2024 को उत्तर के लिए नियत

राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति

1375. श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे:
श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:
श्री संजय हरिभाऊ जाधव:
श्री अरविंद गणपत सावंत:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति लागू की है और यदि हां, तो इस नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;
(ख) इस नीति से विनिर्माण क्षेत्र, जो हाल के वर्षों में आशानुसार कार्य नहीं कर रहा था, को किस प्रकार बढ़ावा मिला है;
(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त नीति के अंतर्गत कितने रोजगार सृजित किए गए;
(घ) उक्त नीति के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप आगामी पांच वर्षों में कितनी नौकरियों का सृजन होने की संभावना है; और
(ङ) उक्त नीति के कार्यान्वयन हेतु सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग राज्य मंत्री
(श्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा)

(क): भारत सरकार ने 2016 में राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति की घोषणा की। इस नीति की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं-

(i) मौजूदा "पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि स्कीम" के बजटीय आवंटन और के वर्तमान दायरे में वृद्धि करने के लिए कौशल,क्षमता निर्माण,उन्नत विनिर्माण तथा क्लस्टर विकास जैसे घटकों को शामिल करना।

(ii) पीपीपी मॉडल के अंतर्गत "प्रौद्योगिकी विकास निधि" का आरंभ ताकि प्रौद्योगिकी अधिग्रहण/अंतरण,आईपीआर/डिजाइन और ड्राइंग की ख़रीद/व्यावसायीकरण का वित्तपोषण किया जा सके।

(iii) कौशल विकास के लिए अत्याधुनिक क्षेत्रीय ग्रीनफील्ड उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना।

(iv) मौजूदा पूंजीगत वस्तु विनिर्माण इकाइयों-- विशेषकर एसएमई के आधुनिकीकरण के लिए समग्र पूंजीगत वस्तु उप-क्षेत्रों को आधुनिक, कंप्यूटर नियंत्रित और ऊर्जा-कुशल मशीनरियों से प्रतिस्थापित करना।

(v) उन्नयन/विकास, परीक्षण और प्रमाणन अवसंरचना।

(ख) : राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति, 2016 में अन्य के साथ-साथ मौजूदा **"पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि स्कीम"** के बजटीय आवंटन में वृद्धि करने और दायरा बढ़ाने की सिफारिश की गई है जिसमें उत्कृष्टता केंद्रों, साझा इंजीनियरिंग सुविधा केंद्रों, एकीकृत औद्योगिक अवसंरचना पार्क की स्थापना तथा प्रौद्योगिकी अधिग्रहण निधि कार्यक्रम की शुरुआत शामिल हैं।

भारी उद्योग मंत्रालय ने साझा प्रौद्योगिकी विकास और सेवा अवसंरचना के लिए सहायता प्रदान करने हेतु भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि स्कीम को 25 जनवरी,2022 को अधिसूचित किया है। 975 करोड़ रूपये की बजटीय सहायता और 232 करोड़ रूपये के उद्योग अंशदान के साथ इस स्कीम का वित्तीय परिव्यय 1207 करोड़ रूपये है। स्कीम के अंतर्गत अब तक 1366.94 करोड़ रूपये की परियोजना लागत (उद्योग के उच्च अंशदान के कारण) वाली कुल 33 परियोजनाएं संस्वीकृत की जा चुकी हैं। भारी उदयोग मंत्रालय के अंतःक्षेप के कारण पूंजीगत वस्तु क्षेत्र का उत्पादन वर्ष 2014-15 के 2,29,533 से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 4,29,001 हो गया है।

(ग) और (घ) : मंत्रालय स्तर पर ऐसे आंकड़े को संपार्श्वित नहीं किया जाता।

(ड.): भारी उद्योग मंत्रालय ने नीति कार्यान्वयन के भाग के रूप में 25 जनवरी,2022 को भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि स्कीम, चरण-II का शुभारंभ किया।

***